निर्णय बइजलास श्री संजीव कुमार खेदड़, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 59 / 2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 07 / 03 / 2022
निर्णय दिनांक – 02 / 09 / 2024

अनवान

1. अमरसिंह पिता पदमसिंह जाति रावणा निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1 गणेश रेगर पिता वरदा रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2 राजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3 राजेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4 नारायणसिंह पिता कुन्दनसिंह निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
5 बाबुसिंह पिता देवीसिंह रावत निवासी निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी और कब्जे की जमीन मौजा लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 482 आराजी संख्या 1969 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होकर प्रार्थी इस पर कब्जे काश्त होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करता चला आ रहा, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री/ सीमा चिन्ह नहीं हांने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एंव हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशांती कायम रहती है प्रार्थी शांति पूर्वक काश्त ,उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। एवं विपक्षीगण संख्या 01 से 04 दादागिरी के बलबुते पर प्रार्थी की खातेदार भूमि पर बाउण्ड्री कर कब्जा करना चाहते हैं व आये दिन मौके पर लडाई–झगड़ा करते है इसी कारण वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की भूमि के चारों तरफ विपक्षीगण संख्या 01 से 04 की भूमि है व उक्त भूमि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि से मिलती है व विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडोसी है विपक्षी संख्या 01 से 04 आये दिन प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने की चेष्टा रखते हैं एवं प्रार्थी की गैर मौजूदगी में कांटों की बाड़ कर देते है व प्रार्थी की भूमि में पत्थर का कोट इत्यादि कर देते हैं जिस कारण आये दिन वाद–विवाद की स्थित रहती है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि से सीमा संबंधी विवाद करते है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है कि नपती, पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थी को फसलों की बुवाई, कटार्ठ के समय विपक्षीगणों से सीमा बाबत् जो विवाद बना रहता है वह हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त वगैरा व भूमि का उपयोग–उपभोग कर सकेगा। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी और कब्जे की जमीन मौजा लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 482 आराजी संख्या 1969 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त जमीन की पत्थरगढ़ी की जाने पर सहमति प्रदान की। अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया किया प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं भूमि के चारों और पत्थर की पक्की बाउण्ड्री/सीमा व चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण से विवाद की स्थित बनी रहती है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 482 आराजी संख्या 1969 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द